सोशल मीडिया सेल आजमगढ़ पत्र सं0- 347/21 दिनांक- 24 जुलाई 2021

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u> रानी की सराय

हत्या का आरोपी गिरफ्तार, अवैध कट्टा व कारत्स भी बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित , इनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में दिनांक- 24.07.2021 को उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव मय राह द्वारा मु0अ0सं0- 247/18 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त की तलाश व देखभाल क्षेत्र में मामूर होकर ऊची गोदाम चौराहा पर मौजूद थे कि मुखिबर खास द्वारा बताया गया कि साहब एक व्यक्ति काजी भीटी पुलिया के पास खडा है जिसके पास अवैध असलहा है। अगर आप शीघ्रता करे तो पकड़ा जा सकता हो इस सूचना पर पुलिस वाले द्वारा काजीभीटी पुलिया से एक व्यक्ति दीपक सिंह उर्फ बब्लू पुत्र रामनयन सिंह सा0 रुदरी थाना रानी की सराय आजमगढ़ को समय 8.40 बजे को नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज तमन्चा प्रतिबन्धित 303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण – दीपक सिंह उर्फ बब्लू पुत्र रामनयन सिंह सा० रुदरी थाना रानी की सराय आजमगढ़ पूछताछ पर बताया कि साहब गलती हो गयी।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 88/2021 धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम थाना रानी की सराय आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

- 1. मु0अ0सं0- 247/18 धारा 302 भादवि थाना गंभीरपुर, आजमगढ़
- 2.मु0अ0सं0- 26/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़,
- 3.मु0अ0सं0- 164/19 धारा 302 भादवि थाना रानी की सराय, आजमगढ़

<u>बरामदगी</u> –

1. एक अदद कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतुस 303 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. दीपक सिंह उर्फ बब्लू पुत्र रामनयन सिंह सा० रुदरी थाना रानी की सराय आजमगढ़

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u> –

- 1.उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव थाना रानी की सराय, आजमगढ़
- 2.कां0दीपक यादवथाना रानी की सराय, आजमगढ़
- 3.कां0 दीपांशुथाना रानी की सराय, आजमगढ़

<u>थाना-रौनापार</u> नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार

विषष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण , क्षेत्राधिकारी सगड़ी व प्रभारी निरीक्षक रौनापार के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स द्वारा दिनांक 24.07.2021 को बैदौली तिराहा के पास से समय करीब 09.50 बजे मु0अ0सं0 125/21 धारा 376 भादवि व ¾ पास्को एक्ट सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अविनाश पुत्र हंसराज निवासी दयालगंज (सिवान) थाना रौनापार आजमगढ़ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण — अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ पर जुर्म से इंकार करते हुए अपना बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0 न्यायालय मे देना बता रहे हैं।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 125/21 धारा 376 भादवि व ¾ पास्को एक्टथाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- अविनाश पुत्र हंसराजनिवासी दयालगंज(सिवान)थाना रौनापार आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह थाना रौनापार आजमगढ़
- 2. हे0का0कृपाशंकर सिंह थाना रौनापार आजमगढ़
- 3.का0 राहुल सिंह थाना रौनापार आजमगढ़
- 4.का0राजू सिंहथाना रौनापार आजमगढ़
- 5.म0का0जया द्विवेदी थाना रौनापार आजमगढ़